रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1991/श्रावण 23, 1913
No. 301] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1991/SRAVANA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1991

सा.का.नि. 533 (अ) :—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 12 में,—

(1) उप नियम (2) के परंतुक में अंक "70" के स्थान पर अंक "75" रखा जाएगा।

(2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"(6) जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हो और जिसे केंद्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।"

(3) उप नियम (7), (8) और (9) का लोप किया जाएगा;

(4) उप नियम (10) को उपनियम (7) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(9) राष्ट्रीय आयोग का आदेश सम्बद्ध पक्षकारों को निःशुल्क संसूचित किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात, निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"15-क. राष्ट्रीय आयोग की बैठक और आदेशों का हस्ताक्षरित किया

जाना—(1) राष्ट्रीय आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष और उसके साथ अधिवेशन में भाग लेने वाले उसके कम से कम दो सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

परन्तु जहां किसी कारण से कोई सदस्य या सदस्य कार्यवाही का संचालन उसके पूर्ण होने तक करने में असमर्थ है/हैं वहां अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही का संचालन नए सिरे से करेगा।

(2) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष और/ऐसे कम से कम दो सदस्यों द्वारा जिन्होंने कार्यवाही का संचालन किया है, हस्ताक्षरित होगा और यदि उनमें परस्पर कोई मतभेद है, वहां बहुमत की राय राष्ट्रीय आयोग का आदेश होगी।

परन्तु जहां कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष और उसके तीन सदस्यों द्वारा किया जाता है और उनका किसी बात या बातों पर मतभेद है वहां वे उस बात या उन बातों को, जिन पर उनका मतभेद है, कथित करेंगे और उसे ऐसी बात या बातों पर सुनवाई के लिए अन्य सदस्य को निर्दिष्ट करेंगे तथा ऐसी बात या बातों का विनिश्चय राष्ट्रीय आयोग के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।"

[सं. 9/4/91-सी पी डी]

संती नायर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम सा.का.नि. 398 (असाधारण तारीख 15 अप्रैल, 1987 तथा अगले संशोधन सा.का.नि. 658 (असाधारण) दिनांक 14-7-1987 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1991

G.S.R. 533(E).—*In exercise of the powers conferred by* sub-section (1) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12,—

(i) in the proviso to sub-rule (2), for the figures "70", the figures "75" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely :—

"(6) When the office of the President of the National Commission is vacant or when such President is, by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person, who is qualified to be appointed as President of the National Commission, as the Central Government may appoint for the purpose.";

(iii) sub-rules (7), (8) and (9) shall be omitted;

(iv) sub-rule (10) shall be re-numbered as sub-rule (7).

3. In rule 15 of the said rules, for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(9) The order of the National Commission shall be communicated to the parties concerned free of cost."

4. In the said rules, after rule 15, the following new rule shall be inserted, namely :—

"15A. Sitting of the National Commission and signing of orders.—(1) Every proceeding of the National Commission shall be conducted by the President and at least two members thereof sitting together;

Provided that where the member or members for any reason are unable to conduct the proceeding till it is completed, the President shall conduct such proceeding de novo.

(2) Every order made by the National Commission shall be signed by the President and at least two members who conducted the proceeding and if there is any difference of opinion among themselves, the opinion of majority shall be the order of the National Commission:

Provided that where the proceeding is conducted by the President and three members thereof and they differ on any point or points, they shall state the point or points on which they differ and refer the same to the other member for hearing on such point or points and such point or points shall be decided accordingly to the opinion of the majority of the National Commission.".

[No. 9/4/91-CPU]

SATHI NAIR, Jt. Secy.

NOTE : The principal rules were notified vide No. GSR 389(E) dated the 15th April, 1987 as amended by GSR 658 dated 14-7-87.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991